# कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2730 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 28-12-013

प्रेषक,

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
वैशाली, हाजीपुर।

विषयः– ग्राम पंचायत, भानपुर बड़ेबा, प्रखण्ड –गोरौल की मनरेगा योजना में गड़बड़ी हेतु जांच प्रतिवेदन।

प्रसंगः– जिला जन शिकायत कोषांग परिवाद सं0 1463/16.05.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, वैशाली के परिवाद पत्र 1463 दिनांक 16.05.2013 से प्राप्त शिकायत पत्र की जांच से संबंधित तथ्य एवं निष्कर्ष इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

**शिकायतकर्त्ता का नाम एवं पताः–**

श्री नथुनी दास (विकलांग)
पिता– स्व0 लखन दास
ग्राम– रामदासपुर, पो0– सोन्धों
ग्राम पंचायत– भानपुर बड़ेबा
प्रखण्ड– गोरौल, जिला– वैशाली।

विश्वासभाजन
28/12/13
लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

ज्ञापांक /अभिकरण, वैशाली दिनांक
प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

28/12/13
लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

# कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
## लोकपाल, मनरेगा
## जिला– वैशाली

| दिनांक | वाद संख्या 17/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 28.12.13 | यह वाद श्री नथुनी दास (विकलांग) पिता– स्व0 लखन दास, ग्रामः रामदासपुर, पो0– सोन्धों, ग्राम पंचायत – भानपुर बड़ेबा, थाना+प्रखण्ड– गोरौल, जिला– वैशाली के दिनांक 22.08.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।<br><br>ग्राम पंचायत भानपुर बड़ेबा की मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण योजनाओ में मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाया है। तथा दिनांक 27 अप्रैल 213 को मुखिया पति– श्री रामचन्द्र राय तथा पंचायत रोजगार सेवक ने पासबुक जबरदस्ती छिन लिये।<br><br>शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा रिश्वत के तौर पर 2000/– रूपये लिये और उस रूपये से उन्होनें पौधा खरीदा, खरीदने के बाद मुझे काम से हटा दिये।<br><br>शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल से कारण पृच्छा की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत् शिकायतकर्त्ता द्वारा वर्णित आरोप जांच किये जाने के क्रम में निराधार साबित हुआ। उन्होंने पंचायत रोजगार सेवक के प्रतिवेदन के हवाले से बताया कि उक्त मजदूर ने दिनांक 30.08.09 से दिनांक 31.10.09 तक कुल 63 दिन मनरेगा की वृक्षारोपण योजनाओं के तहत् कार्य किया और इसका भुगतान पोस्ट ऑफिस के खाता सं0 10300678 से कुल 6426/– रूपया प्राप्त किया गया। शिकायतपत्र की वर्णित अवधि दिनांक 01.08.12 से 30.03.13 तक उस व्यक्ति द्वारा मनरेगा के तहत् कोई कार्य नहीं किया गया तथा कोई भुगतान भी उसे नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत रोजगार सेवक तथा मुखियाजी , भानपुर बड़ेबा ने अन्य व्यक्तियों के साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन में यह बताया है कि उस व्यक्ति के अनपढ़ होने का लाभ उठाकर कुछ शरारती तत्व स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर परेशान करने के उद्देश्य से ऐसी हरकत करवाते है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत समिति सदस्य का कथन भी प्रस्तुत किया है।<br><br>पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया है कि शिकायतकर्त्ता के परिवाद पत्र बेबुनियाद है। दिनांक 01.08.12 से 30.03.2013 तक उस व्यक्ति ने न तो मनरेगा के तहत् कार्य किया है और नहीं भुगतान पाया है। उसके निरक्षर होने का लाभ लेकर कुछ लोग उससे हमेशा किसी भी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगवाते है। उन्होंने शिकायतकर्त्ता से इस संबंध में बात की थी। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उसे झूठा प्रलोभन देकर उससे निशान बनवा लिया गया। इस आशय का स्वीकारोक्ति पत्र भी शिकायतकर्त्ता द्वारा दिया गया है।<br><br>पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत भानपुर बड़ेबा श्री सरोज तिवारी द्वारा बताया गया कि मुखिया पति और पंचायत रोजगार सेवक द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2013 को पास बुक छीने जाने का आरोप मनगढ़त एवं राजनीति से प्रेरित है। शिकायतकर्त्ता श्री नथुनी दास ने शिकायत पत्र में कार्य करने की जो अवधि बतायी है वह झूठा है। उक्त अवधि में उसके द्वारा मनरेगा अन्तर्गत पंचायत में कोई काम नहीं किया गया है। इसे गलत आरोप लगाकर परेशान करने की पुरानी आदत है। उसके द्वारा पूर्व मुखिया पति श्री विपिन कुमार पर भी जिला पदाधिकारी के यहाँ इसी तरह झूठा आरोप लगाया था। इसका यही आचरण है। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा कार्य किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।डाकघर पासबुक की छायाप्रति | |

संलग्न की गयी है।

दिनांक 21.12.13 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुर बड़ेवा , प्रखण्ड– गोरौल का स्थल भ्रमण किया गया। मेरे साथ ग्राम पंचायत, मुखिया पति श्री रामचन्द्र राय, प्रखण्ड कनीय अभियंता श्री राजीव कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक, श्री अनूप कुमार एवं रमेश कुमार के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।

मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में शिकायतकर्त्ता के निवास स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात की गयी। शिकायतकर्त्ता से शिकायत के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी। शिकायतकर्त्ता द्वारा मुखिया, पति– पर पासबुक छीने जाने तथा डाकघर के निकासी पत्र पर जबरदस्ती निशान लिये जाने के आरोप पर वहाँ उपस्थित उनके परिवार के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने अस्वीकार कर दी।शिकायतकर्त्ता द्वारा कार्य किये जाने वाले स्थल के बारे में पाया गया कि उक्त स्थल की योजना सत्र 2009–10 की है। शिकायतकर्त्ता ने अपना पासबुक दिखाया जिसपर पूर्व में कार्य किये गये अवधि का भुगतान प्राप्त किया गया था।

मौके पर पंचायत रोजगार सेवक अनुपस्थित थे। अतः मुखिया पति को निदेश दिया गया है कि योजनाओं के अभिलेख के साथ दिनांक 27.12.13 को कार्यालय में उपस्थित हो।

दिनांक 27.12.13 को पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया पति उपस्थित हुए। मुखिया पति द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें उन्होनें स्थल भ्रमण के दौरान उपस्थित जन समूह द्वारा शिकायतकर्त्ता के आरोप का समर्थन नहीं किये जाने की बात बतायी है। उन्होंने शिकायतकर्त्ता पर साजिस के तहत् लगाये गये आरोप पर उसे दोषी करार कर कारवाई की मांग की। ताकि विकास कार्यो को बाधित करने हेतु किसी व्यक्ति पर गलत आरोप नहीं लगाया जा सकें। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा भुगतान से संबंधित एडवाइस प्रस्तुत की गयी जिसमें भुगतान की गयी 63 दिनों की राशि का विवरण दिया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा योजना सं0 18/2009–10 में मात्र 63 दिनों का वनपोषक कार्य किया गया था। उक्त कार्य अवधि में ही उक्त योजना में उनके (वनपोषक ) द्वारा 2000/– रूपये का मृत पौधो की जगह जीवित पौधे लगाये गये थे। जिसका उन्होंने अपने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि पंचायत रोजगार सेवक कुमोद सिंह ने 2000/– रूपये मुझसे रिश्वत के तौर पर लिये और उस 2000/– रूपये से उन्होंने पौधे खरीदे और खरीदने के बाद मुझे काम से हटा दिये। पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा 2000/– रूपये के पौधे बदलने हेतु कर दिये जाने के बाबजूद पौधे सूखने लगे थे। अतः उनको कार्य से हटा दिया गया था।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त 2000/– रूपये से बदलने हेतु पौधे खरीदे गये थे तथा मुखिया पति और पंचायत रोजगार सेवक पर लगाये गये अन्य आरोप की भी पुष्टि स्थानीय ग्रामीणों तथा शिकायतकर्त्ता के किसी परिवार के सदस्यों द्वारा नहीं की गयी है। शिकायतकर्त्ता के 1 अगस्त 2012 से 30 मार्च 2013 तक के कार्य किये जाने संबंधी सार्थकता स्पष्ट नही हो पाये है।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।